विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन के पार्ट-ए में ₹ 2363.11 करोड़ के अवनिर्धारण/कम भुगतान/राजस्व की हानि इत्यादि को शामिल करते हुए एक पुनरीक्षण सहित 16 पैराग्राफ है । मुख्य निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है: विहंगावलोकन

I. सामान्य

वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 22393.18 करोड़ थी । राज्य सरकार द्वारा उत्थित ₹ 20432.54 करोड़ के राजस्व में ₹ 19971.66 करोड़ कर राजस्व, ₹ 460.86 करोड़ गैर-कर राजस्व तथा ₹ 1960.64 करोड़ की भारत सरकार द्वारा प्राप्तियाँ शामिल थी । पिछले वर्ष के मुकावले राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि 21.20 प्रतिशत थी और गैर-कर राजस्व में कमी पिछले वर्ष के मुकवले 88.99 प्रतिशत थी ।

(पैराग्राफ 1.1)

वर्ष 2011-12 के दौरान व्यापार एवं कर, राज्य उत्पाद शुल्क एवं मनोरंजन, परिवहन एवं राजस्व विभागों इत्यादि 1655 मामलों के अभिलेखों की नमूना जाँच से कुल ₹ 2706.11 करोड़ के राजस्व का अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/राजस्व की हानि इत्यादि का पता चला । वर्ष 2011-12 के दौरान संबंधित विभागों ने 1028 मामलों में ₹ 19.14 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया जो लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई है । इनमें से विभागों ने वर्ष 2011-12 के दौरान 187 मामलों में ₹ 1.23 करोड़ वसूल किए ।

(पैराग्राफ 1.11)

II. बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर

उचित सांविधिक प्रपत्रों को प्रस्तुत किए बिना छूट के अनियमित दावे/कर की रियायती दर के कारण ₹ 2310.14 करोड़ के कर का कम भुगतान हुआ जिसमें ₹ 404.30 करोड़ का ब्याज शामिल है ।

(पैराग्राफ 2.13)

कर की गलत दर लगाए जाने के कारण ₹ 21.44 लाख के ब्याज तथा ₹ 74.67 लाख के जुर्माने को शामिल करते हुए ₹ 1.69 करोड़ के कर का कम भुगतान हुआ ।

(पैराग्राफ 2.14)

प्रपत्र डी वी ए टी- 43 की मूल प्रति प्रस्तुत किए बिना स्रोत पर कर कटौती के लिए कटौती को अनियमित अनुमति के कारण ₹ 94.48 लाख के ब्याज सहित ₹ 3.50 करोड़ के राजस्व की गैर प्राप्ति हुई ।

(पैराग्राफ 2.15)

इनपुट टैक्स क्रेडिट के अत्याधिक दावे के कारण ₹ 8.08 करोड़ के कर का कम भुगतान हुआ जिसमें ₹ 1.27 करोड़ का ब्याज तथा ₹ 3.40 करोड़ का जुर्माना शामिल था ।

(पैराग्राफ 2.16)

मजदूरी एवं सेवाओं के कारण अनियमित कटौती का अनुमति दिए जाने से ₹ 18.38 लाख के ब्याज को शामिल करते हुए ₹ 76.93 लाख के कर का कम भुगतान हुआ ।

(पैराग्राफ 2.17)

पुराने सामान की खरीद के कारण टैक्स क्रेडिट के अनियमित समायोजन से ₹ 1.19 करोड़ के कर का कम भुगतान हुआ जिसमें ₹ 19.59 लाख ब्याज तथा ₹ 49.56 लाख का जुर्माना शामिल था ।

(पैराग्राफ 2.18)

एफ प्रपत्र पर स्थानांतरित मालों के संदर्भ में इनपुट टैक्स क्रेडिट के गैर-निराकरण के कारण ₹ 74.45 लाख के राजस्व की प्राप्ति नही हो सकी जिसमें ₹ 9.72 लाख का ब्याज तथा ₹ 33.76 लाख का जुर्माना शामिल है ।

(पैराग्राफ 2.20)

III. राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन एवं विलासिता कर

कर निर्धारितियों द्वारा कर भुगतान के प्रमाणस्वरूप जमा कराए गए विवरणियों एवं चालानों के पूर्ण अभिलेख रखने में विभाग की असफलता से कर निर्धारितियों द्वारा भुगतान किए गए करों की विशुद्धता प्रमाणित नहीं की जा सकी ।

(पैराग्राफ 3.6.8)

भुगतान में देरी से ₹ 11.00 लाख का ब्याज तथा ₹ 100 लाख का कर केबल आपरेटरों से संग्रहण करने में विभाग असफल रहा ।

(पैराग्राफ 3.6.9.1)

विभाग डीटीएच सेवा प्रदाताओं से कर के विलंबित भुगतान पर ₹ 4.89 करोड़ के ब्याज की वसूली करने में असफल रहा ।

(पैराग्राफ 3.6.9.2)

विभाग 12 सिनेमा हॉल मालिकों से ₹ 1.26 करोड़ के मनोरंजन कर के बकाया वसूलने एवं ₹ 9.76 करोड विलासिता कर की वसूली में असफल रहा ।

(पैराग्राफ 3.6.9.3 & 3.6.9.7)

2007-08 तथा 2011-12 की अवधि के दौरान विलासिता कर अधिकारियों द्वारा निर्धारित करों के विरूद्ध ₹ 4.64 करोड़ की 64 अपीलें दायर की गई थी लेकिन अपील प्राधिकरण द्वारा केवल तीन मामले निर्गत किए गए । इसके अतिरिक्त, होटल मालिकों द्वारा विलासिता कर अभी जमा किया जाना था ।

(पैराग्राफ 3.6.9.8)

बैंकट/सम्मेलन हॉल के लिए होटल मालिकों द्वारा प्राप्त किराया राशि/शुल्क को विलासिता कर के उद्ग्रहण के लिए प्राप्ति के तौर पर नहीं लिया जा रहा था । जिसके कारण छः होटलों में ₹ 5.99 करोड़ के विलासिता कर का कम उद्ग्रहण हुआ ।

(पैराग्राफ 3.6.9.9)

IV. स्टॉम्प कर एवं पंजीकरण शुल्क

स्टॉम्प कर एवं पंजीकरण शुल्क के कम उद्ग्रहण के कारण (गाड़ी पार्किंग के बिल्ट अप एरिया/स्टिल्ट पार्किंग) ₹ 12.76 लाख के स्टॉम्प कर का कम भुगतान हुआ ।

(पैराग्राफ 4.7)

चार से अधिक मंजिलों वाले भवन में निर्धारित दरों को लागु नही किए जाने के कारण ₹ 1.08 करोड़ के स्टॉम्प कर का कम भुगतान हुआ ।

(पैराग्राफ 4.8)

V. मोटर गाड़ी कर

अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की अनदेखी करने के कारण सरकारी खातों में ₹ 8.93 करोड़ के राजस्व का स्थानान्तरण नहीं हुआ ।